

Commr. (Plg) - II
Despatch... F-269
Date... 21-12-11

MOST IMMEDIATE



No. K-12011/4/2011 DDIB
भारत सरकार / Government of India

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 1668
Dated... 23/12/11

शहरी विकास मंत्रालय / Ministry of Urban Development

निर्माण भवन / Nirman Bhavan

नई दिल्ली / New Delhi

Dated K-12-11

सहायक कार्यालय
आवरी सं. 3121-B
दिनांक 20/12/2011

To

The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi. 1	2.	The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-2
The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi.	4.	The Principal Secretary(UD), Govt. of NCT of Delhi, I.P.Estate, New Delhi

Subject:- दिल्ली मुख्य योजना 2021 के पुनर्वास्तोकरण / पुनः विचार की प्रक्रिया
में आगे गये मुझाव हेतु पर लब्ध पुरान पत्रों को स्मरण पत्र।

O.S.D. (PLW)
Diary No. 535
Date... 22.12.2011

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of representation
dated 12-12-2011 received from शकुल कुमाल, जी-27 कृष्ण विहार
फस 1, दिल्ली 86 on the
subject cited above for appropriate action, under intimation to this
Ministry.

Yours faithfully,

Sunil Kumar

(Sunil Kumar)
Under Secretary (DDIB)
Tel.No.23061681

Encl. as above.

AD (PLW) MPR
Date
23/12

6

बु.वि./376297/2011/सुझाव पत्र/दि.वि.प्रा./291

दिनांक: 12/12/2011

सेवा मे,
आदरणीय कमल नाथ जी,
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली:110011.

आग्रहकर्ता:
राकेश कुमार
जी-27 बुद्ध विहार, फेस-1, दिल्ली-110086.
मोबाइल: 9968241017

कुल 3 पृष्ठ

विषय:-दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुनर्वालाकन/पुनःविचार की प्रक्रिया में दिये गये सुझाव हेतु पत्र तथा पुराने पत्रों का स्मरण पत्र !

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4488
Date 15.12.11

महोदय, "Secy. (UD)"

आपके कार्यालय में दिल्ली मुख्य योजना-2021 परिवर्तन हेतु बु.वि./376297/शु.वि.मंत्रा./2011/स्मरण पत्र /66-67, दिनांक: 04-04-11, बु.वि./376297/शु.वि.मंत्रा./2011/याचना/73-80, दिनांक: 11-04-11, बु.वि./376 दि.वि.प्रा. 297/शु.वि.मंत्रा./2011/स्मरण पत्र /97-99, दिनांक: 09-05-11, पत्रों को प्रेषित किया था तथा निदेशक दिल्ली मुख्य योजना दि. वि. प्रा. विकास मीनार में पत्र सं./103/याचना/राकेश कुमार,जी-27 बुद्ध विहार दिनांक: 20-12-2010, बु.वि./376297/09/2011/दि.वि.प्रा.स्मरण पत्र/2011, दिनांक:19-1-10, और आयुक्त एंव सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु.वि./376297/आयुक्त दि. वि. प्रा./39/2011, दिनांक: 05-03-2011 को दिया व बु.वि./376297/आयुक्त दि.वि.प्रा./50-51/2011, दिनांक: 05-03-2011 को आयुक्त व निदेशक दिल्ली विकास प्राधिकरण को 14-03-11 को दली दिया तथा बु.वि./376297/आयुक्त व उपाध्याक्ष दि.वि.प्रा./2011/56-57, दिनांक:28-03-11 को दली दिया व बु.वि./376297/आयुक्त व उपाध्याक्ष दि.वि.प्रा./2011/स्मरण पत्र/89-90 दिनांक: 16-05-11 को दली दिया तथा बु.वि./376297/अति. आयुक्त व निदेशक दि.वि.प्रा./2011/54-55 व 91 दिनांक: 16-05-11 को दली दिया तथा उपाध्याक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु. वि./376297/2011/स्मरण पत्र/दि. वि. प्रा./42 व 120, 07-03-11 को भी दिनांक: 16-05-11 को दली दिया तथा बु.वि./376297/राज्य पाल कार्या./2011/स्मरण पत्र/दि.वि. प्रा. /87, दिनांक: 5-05-11 को दिनांक: 9-05-11 दली दिया गया है इन अनेक पत्रों को प्रेषित करने के पश्चात् अब तक उपरोक्त कार्यालय में से अब तक की गई कार्रवाही सटीक/यथावत है। दिनांक: 11-12-2011 के समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुनर्-वालाकन/पुनःविचार हेतु सुझाव मांगे गये हैं, इसी संदर्भ में उपरोक्त पत्रों में दिये गये सुझावों को एकत्र करके कृप्या निम्न सुझावों को जोड़ कर अवलोकन कर दिल्ली मुख्य योजना-2021 में परिवर्तन करने की असीम अनुकम्पा करें, क्योंकि नियम व कानूनो का इस प्रकार से सरकार /प्रशासन और प्रजा के सर्व वर्गों में समान व उचित समन्यवय होना चाहिए जिससे सामाजिक असमान्यता उत्पन्न ना हो तथा नियम व कानूनो का निर्माण इस प्रकार का हो जिससे समाज में सरकार व प्रशासन के प्रति नेक रायें जाये न कि गलत सन्देश जाये जैसा इन्ही दिनों हुआ है जिसे मिडिया ने दर्शाया भी है दर्शायी गई छवि वास्तव में तुच्छ मात्र है।

अधोहस्ताक्षरी मतानुसार MPD-2021 में होने वाले परिवर्तन पर सुझाव

1. ऐसे स्टॉक/उत्पाद को व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों में रखने से व्यक्तियों के स्वास्थ्य को हानि ना हो उन सभी बेचने वाले उत्पादों को मिश्रित श्रेणी/सड़को पर करने की छूट का प्राधान्य MPD-2021 में दिया जाये।

18/12/11
16/12/11
IB

5

2. **MPD-2021** में शहरी निवासियों की त्यौहारों व उत्सवों की आवश्यकताओं के मध्य नजर सभी त्यौहारों के अस्थायी व्यापार की सभी श्रेणियों को **MPD-2021** में को शामिल करने की कृपा करें।

(क) त्यौहारों व उत्सवों के अस्थायी व्यापारों को करने के लिए सभी क्षेत्रों में अस्थायी व्यापार स्थलों की व्यवस्था करने की कृपा करें।

3. **MPD-2021** के अध्याय सँख्या 15-5, 15-6-2, 15-6-3 में शहरी निवासियों की और आवश्यकताओं के मध्य नजर नई स्थायी व अस्थायी व्यापार की श्रेणियों को शामिल करने की कृपा करें, जिससे एक क्षेत्र के निवासियों की सभी आवश्यकताएँ उसी क्षेत्र में पूरी हों।

अथवा

मिश्रित श्रेणी का व्यवसायिक श्रेणी में विलय करने की व्यवस्था करें जिससे व्यवसायिक असमानता खत्म हो।

अथवा

लैन्ड यूज बदलने की प्रक्रिया को आसान बना कर सभी व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों को दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

अथवा

यदि फिर भी मिश्रित श्रेणी रखने की आवश्यकता हो तो मिश्रित श्रेणी की गणना करने के सूत्र 50% से 70 % तक के सूत्र को 30% से 50% तक कर सभी अधिसूचित मिश्रित सड़कों को व्यवसायिक श्रेणी में बदलने की व्यवस्था करें।

4. व्यवसायिक सड़कों की गणना करने के सूत्र 70% अधिक तक की व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों के सूत्र को 50% अधिक तक की व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों के सूत्र में परिवर्तन करने की व्यवस्था करें। तथा बकाया सभी अधिकृत व अनाधिकृत बसतियों की सड़कों भी समय सीमा के साथ जल्दी अधिसूचित करने की व्यवस्था व्यवस्था करें।

5. मिश्रित श्रेणी व व्यवसायिक श्रेणी की सड़कों के भवनों से सिविक ऐजेन्सियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, कनर्वजन, व पार्किंग चार्ज लेने के पश्चात् सिविक ऐजेन्सियों द्वारा फ्री पार्किंग की व्यवस्था हो।

6. सिविक ऐजेन्सियों द्वारा दिल्ली की व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों से व्यवसायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लेने के पश्चात् उस सम्पत्ति को व्यवसायिक दर्जा/श्रेणी प्राप्त हो जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है।

7. सुझाव नम्बर-5 व 6 में केवल एक प्रकार का ही कर लिया जाये या व्यवसायिक सम्पत्ति कर रहता हो।

8. लाईसेन्स बनाने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खर्चीली हो या सिविक ऐजेन्सियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, कनर्वजन, व पार्किंग चार्ज लेने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन व कनर्वजन चार्ज को ही लाईसेन्स की दर्जा/श्रेणी दे दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

9. सिर्फ दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों से ही व्यवसायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लिया जाये।

4

10. रिहायशी क्षेत्रों में मोबाइल व इनटर नेट टावरो को हटवाने की व्यवस्था करें।
11. शहरों में गाड़ियों कि बढ़ती तादद से रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ती मुश्किलों से निपटने की व्यवस्था करें।
(क) 15.5 से 16 मीटर से उपर के पुराने व नये सभी भवनों को हाई रेन्ज बिल्डिंग की श्रेणी में रखने की व्यवस्था करें जिससे सभी पुराने भवनों में भी निम्न स्तर में पार्किंग की व्यवस्था की जा सके यह नियम सभी पर लागू हो तथा ऐसे सभी पुराने व नये भवनों जिन्हें पार्किंग की व्यवस्था की गई है उन्हें सम्पत्ति कर व अन्य करों में छूट का प्रावधान हो, व अन्य दूसरे बेहतर उपाय शामिल हो।
12. दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बस्तियों और वह सभी बस्तियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बस्तियों में ले आउट के बगैर व आसाना स सभी प्लानों के कम समय/तय समय में नक्शे पास होने की प्रक्रिया का प्रावधान हो।
(क) दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बस्तियों और वह सभी बस्तियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बस्तियों में बने सभी भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खर्चीली करके सभी भवनों को नियमित करने का प्रक्रिया/प्रावधान शुरू करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भवन नियमित करने के अवसर प्राप्त हो जिससे सरकार/सिविक एजेंसियों की आय बढे।
13. नक्शे पास करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खर्चीली होने का प्रावधान हो जिससे सभी नागरिकों के अन्दर नक्शे पास करवाने व सरकार की आय बढाने की भावना जाग्रत हो तथा अधिक से अधिक नक्शे पास हो।
14. पास नक्शे वाले पुराने मकानों को तोड कर उसी पास नक्शे अनुसार बिना सरकारी खर्च के बनाने की छूट का प्रावधान हो।
15. दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुर्नवालीकन/पुनर्विचार के समय सीमा को पाँच साल से कम कर दो वर्ष करें।
16. अन्य वह सभी सुधार व उपायों को सम्मिलित करे जो आम नागरिकों व व्यापारियों को रिशवत खोरी से निजात दें।

भवीदय,

राकेश

राकेश कुमार

सूचना हेतु प्रेषित प्रतिया :-

1. अति. आयुक्त/निदेशक दिल्ली मुख्य योजना-2021 प्लानिंग, दि.वि.प्रा. विकास मीनार नई दिल्ली-110002.
2. उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली-110023.